

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल0-04/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० उदय कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद द्वारा द्वितीय संतान हेतु उपभोगित अवधि दिनांक-06.08.2024 से 20.08.2024 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिन को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक- 01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल0-04/2025-

/स्वा०,

पटना, दिनांक 1/8/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
औरंगाबाद/अधीक्षक, सदर अस्पताल, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/
डा० उदय कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।